फर्द अहकाम

न्यायालय जिला कलक्टर, राजसमंद जिला राजसमन्द

श्री शिवनारायण मेहता निवासी मण्डावर, जिला राजसमन्द — अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा — प्रत्यर्थी

किस्म मुकदमा — अपील सूचना का अधिकार, 2005 **पत्रावली संख्या 56 / 2025**

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	दिनांक 14.07.2025 पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी उपस्थित। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत वांछित सूचना लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा से प्राप्त नहीं होने से इस कार्यालय में सूचना प्राप्ति हेतु प्रेषित प्रथम अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा से वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध कराते हुए रिपोर्ट इस न्यायालय को भिजवाने हेतु निर्देशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा से जरिये पत्र क्रमांक :— राजस्व / RTI / 2025 / 784 दिनांक 03.07.2025 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना इस कार्यालय के पत्रांक राजस्व / RTI / 2025 / 585 दिनांक 23.05.2025 द्वारा भिजवा दी गई हैं। उक्त क्रम में प्रार्थी श्री शिवनारायण मेहता ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मेरे द्वारा चाही गई सूचना आदिनांक तक अपेक्षित हैं। तथा वांछित सूचना उपलब्ध कराई जाकर अपील का निराकरण कराया जावें तथा मौखिक रूप से निवेदन किया कि मेरे द्वारा चाही गई सूचना राजस्व ग्राम खेडाना तहसील नाथद्वारा से संबंधित हैं। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा की रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रथम अपील का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा की रिपोर्ट के अनुसार अपीलार्थी द्वारा चाही गयी वांछित सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवा दी गई। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से जाहिर आया कि लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा द्वारा अपीलार्थी को चाही गई वांछित सूचना के संबंध में यह निर्देशित किया कि चाही गई सूचना तहसील कुंवारिया से संबंधित होने से सूचना तहसील कुंवारिया से प्राप्त करें। उक्त संबंध में अपीलार्थी को निर्देशित किया जाता है कि आप द्वारा वांछित सूचना के संबंध में समूचित विशिष्टियॉ अंकित कर संबंधित लोक सूचना अधिकारी से वांछित सूचना प्राप्त करें एवं लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वारा को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में यदि अपीलार्थी द्वारा चाही गई वांछित सूचना का संबंध अन्य लोक सूचना अधिकारी से हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में विहित प्रावधानो के अनुसार अपीलार्थी का प्रार्थना पत्र संबंधित लोक सूचना अधिकारी को	

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)

अन्तरण किया जाना सुनिश्चित करें। अतः उक्त अपील को इसी स्टेज पर निर्णित किया जाता है।

निर्णय की प्रति अपीलार्थी, लोक सूचना अधिकारी तहसीलदार नाथद्वार को भिजवायी जावे।

पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज रजिस्टर नंबर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

लोक सूचना अपीलीय अधिकारी
(जिला कलक्टर) राजसमंद

न्यायालय जिला कलक्टर राजसमन्द (राज.)